



प्रेस नोट-
थाना समथर, झाँसी

दिनांक 08.07.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना समथर पुलिस द्वारा वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही क्रम में आज दिनांक 08.08.2025 को थाना समथर पुलिस द्वारा वारण्टी राहुल कुमार राजपूत पुत्र राकेश कुमार राजपूत निवासी ग्राम छपार थाना शाहजहापुर जनपद झाँसी उम्र करीब 25 वर्ष संबंधित वाद सं0 844/2025 धारा 128 द.प्र.सं./147 बीएनएसएस के विरुद्ध माननीय न्यायालय पारिवारिक प्रधान न्यायाधीश झाँसी द्वारा जारी आदेशिका का अनुपालन कराते हुये वारण्टी राहुल कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण - राहुल कुमार राजपूत पुत्र राकेश कुमार राजपूत निवासी ग्राम छपार थाना शाहजहापुर जनपद झाँसी उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय- ग्राम छपार थाना शाहजहापुर जिला झाँसी ,
दिनांक 08.08.2025 समय 11.45 बजे ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 श्री शिववीर सिंह थाना समथर जिला झाँसी
- 2- का0 1348 पीयूष राव थाना समथर जिला झाँसी
- 3- कां0 1411 नीरज कुमार थाना समथर जिला झाँसी